UPHM010019472026

न्यायालय Spl.Judge(D.A.A Act), Hamirpur

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–903/2026

महेश शुक्ला उर्फ महेश चन्द्र उम्र 55 वर्ष पुत्र मनभावन उर्फ मनभावन शुक्ला निवासी ग्राम मसगवां थाना बिंवार जिला हमीरपुर (उ०प्र०)।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य (उ०प्र०), द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) हमीरपुर (उ०प्र०)।

.....विरुद्ध पक्ष

मु०अ०सं०–516/2011
धारा–406, 420, 506 भा०दं०सं०,
थाना–बिंवार, जिला–हमीरपुर।

03.08.2026

आवेदक/अभियुक्त महेश शुक्ला उर्फ महेश चन्द्र पुत्र मनभावन उर्फ मनभावन शुक्ला की ओर से मु०अ०सं० 516/2011 अन्तर्गत धारा–406, 420, 506 भा०दं०सं०, थाना बिंवार जिला हमीरपुर, के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न ही लंबित है और न ही खारिज हुआ है।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामकुमार शुक्ला द्वारा थाना बिवांर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि–प्रार्थी रामकुमार शुक्ला के छोटे भाई श्रवण कुमार शुक्ला की शादी नहीं हुयी थी जिसकी शादी कराने के लिये परिवार के ही महेश शुक्ला, उदित शुक्ला व परमेश्वरी दयाल उर्फ पित्तई पुत्रगण श्री मनभावन शुक्ला व प्रमोद शुक्ला व रामकिशोर शुक्ला पुत्रगण स्व० श्री रमेश शुक्ला निवासीगण मसगवां थाना विवांर ने उससे 70000/– (सत्तर हजार रू०) नगद विश्वास में लेकर ले लिये तथा उनके सहयोगी उदित शुक्ला के ससुराल ग्राम खरूसा जिला जालौन में दिनांक 24.06.2011 ले जाके उदित शुक्ला के साले रामकुमार ने उपरोक्त व्यक्तियों की मौजूदगी में लड़की दिखवाई गयी। लड़की का नाम पूजा बताया गया और लड़की का गांव अमखेड़ा बताया गया। रिश्ते में उदित के साले रामकुमार के साढू की लड़की बताकर लड़की देखने के उपरान्त उपरोक्त व्यक्तियों के कहने पर वह एवं उसकी बहन द्वारा गोद भराई की रस्म पूरी भी करवाई जिसमे बहन राजकुमारी ने अपनी दो तोला की सोने की जंजीर, व दो सोने की अगूंठी मात्र 8–8 आने की एवं एक साडी फल

मीठा तथा 1100/– रू० नगद गोदी में डाला गया। वही पर उपरोक्त व्यक्तियों के सामने शादी भी सोधी गयी जिसकी तिथि 09.07.2011 टीका निश्चित हुआ इस बीच में वह व उसके भाई की शादी की समस्त तैयारियां कर ली थी शादी के एक दिन पहले दिनांक 08.07.2011 को महेश शुक्ला ने कहा कि लड़की का बाप खत्म हो गया है, उसकी मां विवांर में मुन्ना शुक्ला के यहां लड़का देखने के उद्देश्य से आई है। रात में महेश शुक्ला व मनोज शुक्ला लड़का श्रृष्ण कुमार शुक्ला व उनकी बहन ज्ञान देवी के साथ में विवांर गया वहां पर कोई नही मिला महेश शुक्ला व मुन्ना शुक्ला ने 1 घण्टे के बाद यह बताया कि लडकी के मामा लड़की की शादी मौनी मन्दिर उरई से करने को तैयार हैं, कल बारात लेकर मौनी मन्दिर पहुंचे। दिनांक 09.07.2011 को समय 10 बजे सुबह दूल्हा निकासी बारात में चलने के लिये बुलाया गया तब उन्होंने कहा कि पूरा जेवर उन्हें दे दो लेकिन जेवर नहीं दिया गया फिर यह बोले कि आपने बैण्ड बाजा क्यों कर लिया और डांसर क्यों कर लिया तामाम तरह के दोषारोपण करते हुए मौके से फरार हो गये, लेकिन बारात मौके तक पहुंची वहाँ पर, न तो लड़की मिली, न कोई लड़की का रिश्तेदा, न ही कोई व्यवस्था मिली, तब यह मालूम हुआ की उसकी शादी कराने को विश्वास में लेकर उपरोक्त व्यक्तियो मुल्जिमो द्वारा धोखाधड़ी, झल कपट एवं फरेब करके नकद रूपया व अन्य सामान लेकर किया गया। उपरोक्त व्यक्ति एक गिरोहबन्द एवं आपराधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं, जो सीधे साधे लोगों को विश्वास में लेकर छल कपट एवं धोखा देकर रूपये हड़पते है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक न्यासभंग भी किया गया है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा किये गये विश्वासघात एवं छल कपट एवं फरेब करने से उसे मानसिक आर्थिक एवं समाजिक छति के साथ अपमानित होना पड़ा है जिससे पीड़ा पहुंची एवं शादी न कराकर सविंदा भंग की गई। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध न्याय हित में रिपोर्ट दर्ज की जाये तथा उचित दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही द्वारा उसके एवं उसके भाई को विश्वास में ले कर शादी के बहाने विश्वास धात, एवं छल कपट फरेब व हड़प कर लिये गये 70000/– (सत्तर हजार रू०) एवं दिया गया जेवर तथा शादी की तैयारी में हुये खर्च की रकम दिलाई जावे तथा उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाबत दी जा रही जान से मारने की धमकियों से जान माल की सुरक्षा की जाये अति कृपा होगी। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण महेश शुक्ला, उदित शुक्ला, परमेश्वरी दयाल उर्फ मित्तई, प्रमोद, रामकिशोर शुक्ला, रामकुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0 516/2011 धारा 406, 420, 506 भा0दं0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक ने मामले की विवेचना करके अभियुक्तगण महेश शुक्ला, उदित शुक्ला, परमेश्वरी दयाल उर्फ मित्तई, प्रमोद, रामकुमार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2011 को प्रसंज्ञान लिया गया।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, पूर्व की दुश्मनी के कारण प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। दिनांक 24.06.2011 की घटना बताई जा रही है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.06.2011 को दर्ज हुई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक देरी से व विचार विमर्श के बाद दर्ज हुई है। किसी लडके के विवाह हेतु रूपये देने का कोई प्रश्न नही होता, घटनाक्रम जो दिखाया

गया वह मनगढन्त व बनावटी है। प्रार्थी द्वारा कोई धोखा धडी नही की गई न ही कोई छल कपट या फरेब किया गया है न ही कोई अमानत में खयानत की गई है, न ही कोई जानमाल की धमकी दी है। प्रार्थी को कभी कोई पैसे, रूपये या सम्पत्ति वादी द्वारा नही सौंपी गई है। प्रार्थी ने कभी कोई शादी करने की बात वादी व उसके भाई से नही की और न ही लडके के भाई से की। प्रार्थी का कथित लडकी से कोई वास्ता व सरोकार नही है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी का आवास व कृषि ग्राम मसंगाव में है दौरान मुकदमा अनुपस्थित व फरार होने की कोई सम्भावना नही है, न ही गवाह को प्रभावित करने की सम्भावना है। वादी मुकदमा रामकुमार शुक्ला की सगी बहन चुन्नी ने प्रार्थी के चचेरे भाई तपेश्वरी प्रसाद को गोली मारी थी, जिसमें मौके पर मृत्यु हो गई थीं, जिसका मुकदमा भी न्यायालय में चला था, इसी दुश्मनी के कारण प्रार्थी का वादी के घर आना जाना व बोलचाल सन् 1987 से नही था। इसी बुराई के कारण प्रार्थी को झूठा फसाया गया है। कथित अपराध में 07 वर्ष तक की सजा है। उक्त मुकदमे के सम्मन जमानतीय वारण्ट व गैर जमानतीय वारण्ट प्रार्थी को प्राप्त नही हुये हैं प्रार्थी को उक्त मुकदमा की जानकारी होते ही अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा रामकुमार शुक्ला के छोटे भाई की शादी करवाने हेतु शादी करवाने के बहाने वादी मुकदमा के साथ विश्वास धात एवं छल कपट एवं फरेब करके 70000/– (सत्तर हजार रू०) वादी के हड़प कर लिये गये। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित नहीं आया, उसके विरुद्ध एन०बी०डब्लू० तथा धारा–82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही संबंधित न्यायालय द्वारा जारी की गई हैं। अभियुक्त द्वारा विचारण में न्यायालय का सहयोग नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त के फरार होने की पूर्ण संभावना है। सह अभियुक्त की अग्रिम जमानत खारिज की जा चुकी है। अग्रिम जमानत सामान्य नियम नहीं है। अग्रिम जमानत संबंधी अधिकारिता का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गए आरोप को देखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त महेश शुक्ला के विरुद्ध प्रार्थी रामकुमार शुक्ला के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 27.07.2011 को अभियोग पंजीकृत किया गया है। बाद विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन करने के उपरान्त दिनांक 15.09.2011 को आवेदक/अभियुक्त के साथ अन्य 4 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मु०अ०सं० 516/2011 अन्तर्गत धारा–406, 420, 506 भा०दं०सं० थाना बिंवार जिला हमीरपुर में प्रेषित किया गया, जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2011 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर विचारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है तथा अभियुक्तगण की अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र व धारा–82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की जा रही है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा विचारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है। अग्रिम जमानत स्वीकृत होने के पश्चात उसके फरार होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त महेश शुक्ला उर्फ महेश चन्द्र पुत्र मनभावन उर्फ मनभावन शुक्ला की ओर से मु०अ०सं० 516/2011 अन्तर्गत धारा–406, 420, 506 भा०दं०सं०, थाना बिंवार जिला हमीरपुर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 03.08.2026

(राजीव कुमार–II)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.), हमीरपुर।
J.O. Code–UP 6466

Digitally signed by RAJEEV KUMAR
Date: 2026.08.03 17:24:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court